छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10.8.2001

क्रमांक 1682 एफ– 10 / 332 /2001/वाक–पांच(38)–चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीयत व्यापारी जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा पॉलीथीन इन्सुलेटेड जैली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, आप्टीकल फायबर टेलीफोन केबल्स, पी.वी.सी. इंस्युलेटेड जी.आई. वायर, ड्रॉप वायर तथा एक्सेसरीज एवं अन्य प्रकार के दूरसंचार केबल्स का विक्रय उसके द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों को छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतरराज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किए गए ऐसे विक्रय के टर्नओवर पर देय कर की गणना, दिनांक 01.10.2000 से दिनांक 31.03.2002 के बीच की अवधि के दौरान 4 प्रतिशत की घटी हुई दर पर की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
(के.आर मिश्रा)
उप–सचिव

Government of Chhattisgarh

ANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS & 20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur dated 10.8.2001

No. 1682 /F- 10 / 332 /2001/CT/V(38) Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) the State Government hereby directs that the sales effected by any registered dealer whose place of business is in Chhattisgarh, of polythene insulated jelly filled telephone cables, optical fibre telephone cables, P.V.C. Insulated G.I. Wires, Drop Wires and accessories and the telecommunication cables of other types to Bharat Sanchar Nigam Limited or its subsidiary companies from its place of business located in Chhattisgarh in the course of inter-state trade or commerce, the tax on the turn over of such sales transacted by it shall be calculated at the lower rate of 4 per cent during the period from 01.10.2000 to 31.03.2002.

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh

(K. R. Misra)
Deputy Secretary